UPBJ010008702022
JO CODE UP01598

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।</u>

सत्रवाद संख्या 128/2022

सरकार **बनाम** सोनू उर्फ संजीव

मुकदमा अपराध संख्या 289/2021
धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।

<u>दिनांकः 20.05.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सोनू उर्फ संजीव उपस्थित आया।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिंदु पर राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) ने धारा 226 दं0प्र0सं0 अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् विचार करने के उपरान्त एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या क–9 के आधार पर मैं इस मत पर पहुचती हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का युक्तियुक्त पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया विद्यमान है। तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

अभियुक्त सोनू उर्फ संजीव के विरूद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 17–06–2022 को पेश हो। नियत दिनांक को गवाह तलब हों।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

Digitally signed by SHAGUN PANWAR
Date: 2022.05.20 15:47:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।</u>

सत्रवाद संख्या 128/2022

सरकार **बनाम** सोनू उर्फ संजीव

मुकदमा अपराध संख्या 289/2021

धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं, शगुन पंवार, विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर आप अभियुक्त सोनू उर्फ संजीव को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँः–

यह कि दिनांक 25–12–2021 को समय 18:20 बजे, बहद् स्थान चौकी दुष्यन्त से करीब 25–30 कदम की दूरी पर, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आपको पुलिस पार्टी द्वारा शक के आधार पर पकड़ा गया तथा नियमानुसार आपकी जामा तलाशी लेने पर आपकी पहनी जीन्स की दाहिनी जेब से नशीला पदार्थ वजन 279 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 20–05–2022

(शगुन पंवार)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया तथा परीक्षण की मॉग की।

दिनांकः 20–05–2022

(शगुन पंवार)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।
JO CODE UP01598